प्रगत संगणन विकास केंद्र

CENTRE FOR DEVELOPMENT OF ADVANCED COMPUTING

अनुलग्नक 'क'

शासी परिषद (जीसी) और समन्वय समिति (सीसी) के अधिकार

क्र. सं.	विषय	शासी परिषद (जीसी) के अधिकार	समन्वय समिति (सीसी) के अधिकार
1.	विदेशों से वित्तीय अंशदान प्राप्त करना	पूर्ण अधिकार - अध्यक्ष, जीसी। जानकारी के लिए अगली जीसी बैठक में मद पर रिपोर्ट दी जाएगी।	
2.	विदेश में महानिदेशक की प्रतिनियुक्ति के लिए अनुमोदन	पूर्ण अधिकार - अध्यक्ष, जीसी।	
3.	भूमि / भवन की खरीद	पूर्ण अधिकार - अध्यक्ष, जीसी। जानकारी के लिए अगली जीसी बैठक में मद पर रिपोर्ट दी जाएगी।	
4.	भवन निर्माण, इंटीरीयर या साइट तैयारी	पूर्ण अधिकार - अध्यक्ष, जीसी। जानकारी के लिए अगली जीसी बैठक में मद पर रिपोर्ट दी जाएगी।	रु. 2500 लाख तक पूर्ण अधिकार। अगली जीसी बैठक में मद पर रिपोर्ट दी जाएगी।
5.	भारतीय / विदेशी पूंजीगत उपकरण, सॉफ्टवेयर, कच्चे माल, घटक, उपकरण के निर्माण सहित उपभोज्य वस्तुएं/ अर्ध-उपभोज्य वस्तुएं जैसे तकनीकी भंडारों की खरीद	पूर्ण अधिकार - अध्यक्ष, जीसी। जानकारी के लिए अगली जीसी बैठक में मद पर रिपोर्ट दी जाएगी।	रु. 2500 लाख तक पूर्ण अधिकार, रु. 500 लाख मूल्य से ऊपर के प्रत्येक मामले में, जानकारी के लिए अगली जीसी बैठक में रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
6.	विद्युत फिटिंग / परिनियोजन सहित सिविल कार्य की मरम्मत और रखरखाव (प्रशासनिक अनुमोदन सहित)		पूर्ण अधिकार
7.	नियमित पदों का सृजन	नियमित पदों का सृजन करने के लिए पूर्ण अधिकार (सरकार की सहमति से)	
8.	संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विदेशी पार्टियों के साथ एमओयू / संविदा पर हस्ताक्षर की स्वीकृति		पूर्ण अधिकार - अध्यक्ष, सीसी। अगली बैठक में मामले को सीसी और जीसी को रिपोर्ट करना है।

क्र. सं.	विषय	शासी परिषद (जीसी) के अधिकार	समन्वय समिति (सीसी) के अधिकार
9.	कर्मचारियों को आर्थिक लाभ बढ़ाने से संबंधित प्रावधानों में संशोधन।	पूर्ण अधिकार	
10.	नई जगहों पर संस्था के कार्यालय खोलना।	पूर्ण अधिकार - नए केंद्र या केंद्रों से संलग्न कार्यालय या संभागों के या केंद्रों से संबद्ध कार्यालयों के उन्नयन के लिए।	पूर्ण अधिकार - संबद्ध कार्यालयों के लिए या केंद्रों के संभागों के उन्नयन के लिए।
11.	संस्था के उद्देश्यों के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए अनुमोदन।	पूर्ण अधिकार	
12.	संस्था की निधि के उपयोग के बिना विदेशों में कार्य करने की अनुमति देना।	पूर्ण अधिकार - महानिदेशक के संबंध में अध्यक्ष जीसी।	पूर्ण अधिकार - कार्यकारी निदेशकों और ग्रेड पे 10000 वाले अधिकारियों के संबंध में अध्यक्ष, सीसी।
13.	कोर ग्रांट के विषय में मेजर हेड से बाहर की निधियों (यानि राजस्व आदि के पूँजी से) का पुनर्विनियोग।		पूर्ण अधिकार - जीसी को रिपोर्ट करके।
14.	कोर ग्रांट के विषय में प्रत्येक श्रेणी में अर्थात पूँजी, राजस्व आदि में निधियों का पुनर्विनियोग।		पूर्ण अधिकार
15.	कार्यालय उपकरणों, सामग्री और फर्नीचर आदि सहित बेकार और अयोग्य सामग्रियों का निपटान तथा उनके निपटान / निरस्तीकरण को स्वीकृत करना।		पूर्ण अधिकार - अगली बैठक में जीसी को रिपोर्ट किया जाएगा।
16.	चोरी, धोखाधड़ी या व्यक्तियों की लापरवाही के कारण गैरवापसी हानि होने पर।	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार - जहाँ प्रत्येक मद की कीमत रु. 25 लाख से अधिक न हो और जीसी को रिपोर्ट किया जाएगा।
17.	चोरी, धोखाधड़ी या व्यक्तियों की लापरवाही के कारण न होने वाली गैरवापसी हानि होने पर।		पूर्ण अधिकार - अगली बैठक में जीसी को रिपोर्ट किया जाएगा।
18.	घाटा / हानि त्याग / प्रतिलाभ	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार - अगली बैठक में जीसी को रिपोर्ट किया जाएगा।

क्र. सं.	विषय	शासी परिषद (जीसी) के अधिकार	समन्वय समिति (सीसी) के अधिकार
			जब ह्रासित मूल्य रु. 50 लाख से अधिक न हो तो निरस्तीकरण/ हानियों के छूट का पूर्ण अधिकार और जीसी को रिपोर्ट किया जाना है।
19.	विदेशी एजेंसियों के साथ संयुक्त उद्यम, सहयोग और व्यवसाय आरंभ करने के लिए अनुमोदन।		पूर्ण अधिकार
20.	नियुक्ति / पदोन्नति पर उच्च वेतन / अतिरिक्त वेतन वृद्धि की स्वीकृति।		पूर्ण अधिकार
21.	किसी अन्य मद का अनुमोदन जो विशेष रूप से इस अनुसूची में शामिल न हो।	पूर्ण अधिकार	
22.	विशेष रूप से महानिदेशक के अधिकार में न आने वाला आवर्ती आकस्मिक व्यय।		पूर्ण अधिकार
23.	बिजली, सिविल और बागवानी के विषय में मालिकाना मदों या निर्दिष्ट ब्रांड या विशेषज्ञ कामों के संबंध में एकल निविदा / एकल कोटेशन को अनुमोदित करना।	पूर्ण अधिकार	रु. 500 लाख तक पूर्ण अधिकार, रु. 100 लाख मूल्य के ऊपर के प्रत्येक मदों के लिए अगली जीसी बैठक में जानकारी के लिए रिपोर्ट करना है।
24.	किराए के आवास की दरों में संशोधन	पूर्ण अधिकार	

अनुलग्नक 'ख'

महानिदेशक (डीजी) के अधिकार

क्र. सं.	विषय	महानिदेशक (डीजी) के अधिकार
1.	भारतीय / विदेशी पूंजीगत उपकरण, सॉफ्टवेयर, कच्चे माल, घटक,उपकरण के निर्माण सहित उपभोज्य वस्तुएं/ अर्ध-उपभोज्य वस्तुएं जैसे तकनीकी भंडारों की खरीद।	रु. 1000 लाख तक पूर्ण अधिकार। रु. 500 लाख से अधिक मूल्य वाले प्रत्येक मद के लिए अगली बैठक में सीसी को रिपोर्ट करना है।
2.	बिजली, ईंधन, संचार, किराया, जल, कर, छपाई, स्टेशनरी, किताबें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ आदि, कर्मचारी कल्याण, परोपकार कोष, स्टाफ मनोरंजन क्लब, स्वास्थ्य और खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, मनोरंजन और विशेष आयोजन जैसे संचालन व्यय / आकस्मिक व्यय / संविधिक भुगतान।	पूर्ण अधिकार
3.	प्रकाशन और विज्ञापन	पूर्ण अधिकार
4.	प्रचारक प्रायोजन	पूर्ण अधिकार
5.	भवन निर्माण (प्रशासनिक अनुमोदन सहित)	प्रति भवन रु. 500 लाख तक। रु. 100 लाख से अधिक कीमत वाले प्रत्येक मद के लिए अगली बैठक में सीसी को रिपोर्ट करना है।
6.	इलेक्ट्रिकल फीटिंग/ संस्थापन सहित सिविल कार्य की मरम्मत और रखरखाव	रु. 100 लाख तक पूर्ण अधिकार। रु. 50 लाख से अधिक कीमत वाले प्रत्येक मद के लिए अगली बैठक में सीसी को रिपोर्ट करना है।
7.	नियमित पदों के अलावा संविदा पर पदों के सृजन का अधिकार जिसके लिए अनुमोदन/ एसीसी के क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं।	पूर्ण अधिकार
8.	परियोजनाओं / संस्थान के स्वयं-सहयोगी कार्यों के लिए समेकित वेतन पर पदों के सृजन का अधिकार।	पूर्ण अधिकार
9.	शोध सहयोगी, विजिटिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, विजिटिंग प्रोग्रामर, प्रशिक्षु, तकनीकी सहयोगी, परामर्शदाता इत्यादि जैसे अस्थायी अवधि के पदों के सृजन का अधिकार।	पूर्ण अधिकार
10.	संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विदेशी पार्टियों के साथ एमओयू/ संविदा	पूर्ण अधिकार - परिस्थिति अनुसार / समय की कमी की माँग को देखकर, पर

क्र. सं.	विषय	महानिदेशक (डीजी) के अधिकार
	समझौता पर हस्ताक्षर अनुमोदन।	तुरंत अध्यक्ष, सीसी और अध्यक्ष, जीसी को रिपोर्ट करना।
11.	नई जगहों पर संस्था की नई इकाई या कार्यालय खोलना।	पूर्ण अधिकार - प्रकोष्ठ या विपणन कार्यालय।
12.	कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए अनुमोदन (महानिदेशक यानी स्वयं को छोड़कर)	ऐसी यात्राओं के लिए एमईआईटीवाई की निम्न शर्तों के साथ पूर्ण अधिकार: क) संस्था की शासी परिषद द्वारा विधिवत अनुमोदित परियोजना का अभिन्न अंग; ख) अन्य संस्थाओं के साथ समितियों द्वारा हस्ताक्षरित एमओयू/ अनुबंध के भाग के रूप में लिया जाना जहाँ एमईआईटीवाई की कोई बजटीय प्रतिबद्धता न हो; ग) ऐसी यात्राओं के लिए बजट में प्रावधान हो; घ) विदेश में सेमिनारों / प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए व्यक्तिगत अधिकारी के कार्यों का सीधा संबंध हो। यद्यपि, यह समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार होगा। ङ) व्यय वहन के साथ की गई यात्राओं पर एमईआईटीवाई के कार्यक्रम समूह और एबीसी प्रभाग को त्रैमासिक रिपोर्ट करना।
13.	संस्था की निधि के उपयोग के बिना विदेशों में कार्य करने की अनुमति देना।	पूर्ण अधिकार - रु. 8900 तक के ग्रेड पे वाले अधिकारियों के संबंध में।
14.	मेजर हेड के बाहर निधियों का पुनर्नियोजन अर्थात पूँजी से राजस्व आदि।	पूर्ण अधिकार, विशेष प्रावधान के 25% तक सीमित।
15.	प्रत्येक श्रेणी जैसे कि पूँजी, राजस्व आदि में निधियों का पुनर्नियोजन।	अनुमानित बजट / परियोजना में समग्र स्थिति के भीतर पूर्ण अधिकार।
16.	कार्यालयीन उपकरण, सामग्री और फर्नीचर आदि सहित बेकार और अप्रचलित भंडार सामग्रियों का निपटान तथा उनके निपटान / निरस्तीकरण के तरीके का अनुमोदन।	ह्रासित मूल्य रु. 50 लाख से कम होने पर पूर्ण अधिकार।
17.	चोरी, धोखाधड़ी या व्यक्तियों की लापरवाही के कारण गैरवापसी हानि होने पर।	पूर्ण अधिकार जहाँ प्रत्येक मद का अंकित मूल्य रु. 10 लाख से अधिक नहीं है।
18.	चोरी, धोखाधड़ी या व्यक्तियों की लापरवाही के कारण न होने वाली गैरवापसी हानि होने पर।	पूर्ण अधिकार जहाँ वर्ष में ह्रासित मूल्य रु. 10 लाख से अधिक नहीं तथा सीसी को रिपोर्ट करना है।
19.	घाटा / हानि त्याग / प्रतिलाभ	पूर्ण अधिकार जहाँ ह्रासित मूल्य रु. 10 लाख से अधिक नहीं।

क्र. सं.	विषय	महानिदेशक (डीजी) के अधिकार
20.	भारत में पूर्णकालिक प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों की तैनाती।	पूर्ण अधिकार
21.	संस्था द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों / उत्पादों के लिए पूरी तरह से फायदा उठाने और बाजार बनाने के लिए संयुक्त उद्यम, सहयोग जैसे अन्य तंत्र बनाने के लिए नीतियों को मंजूरी।	पूर्ण अधिकार - सीसी को रिपोर्ट करने के साथ।
22.	विदेशी एजेंसियों के साथ संयुक्त उद्यम, सहयोग और व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति देना।	अत्यावश्यकता के मामले में पूर्ण अधिकार, अध्यक्ष, सीसी को रिपोर्ट करके।
23.	संस्था के हित के क्षेत्रों में उत्कृष्ट छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए छात्रवृत्ति, एसोसिएट-शिप और अध्येतावृत्ति के लिए नीतियों की स्वीकृति।	पूर्ण अधिकार
24.	नियुक्ति / पदोन्नति पर उच्च वेतन / अतिरिक्त वेतन की स्वीकृति।	पूर्ण अधिकार - प्रासंगिक नियमों के अनुसार रु. 16,400 - 20,000 तक के ग्रेड पे वाले कर्मचारियों के लिए।
25.	कार्यालय के लिए वाहनों की खरीद।	रु. 100 लाख तक पूर्ण अधिकार।
26.	वाहनों को अनुपयोगी घोषित करना।	पूर्ण अधिकार
27.	विशेष रूप से महानिदेशक के अधिकारों के तहत शामिल नहीं आवर्ती आकस्मिक व्यय।	रु. 10 लाख तक पूर्ण अधिकार। रु. 5 लाख से अधिक कीमत वाले प्रत्येक मद के लिए अगली बैठक में सीसी को रिपोर्ट करना है।
28.	बिजली, सिविल और बागवानी के विषय में मालिकाना मदों या निर्दिष्ट ब्रांड या विशेषज्ञ कामों के संबंध में एकल निविदा / एकल कोटेशन को अनुमोदित करना।	रु. 100 लाख तक पूर्ण अधिकार। रु. 20 लाख से अधिक कीमत वाले प्रत्येक मद के लिए अगली बैठक में सीसी को रिपोर्ट करना है।
29.	नकद खरीद	रु. 50,000 तक
30.	भारत में अल्पकालिक और विशेष प्रशिक्षण/ पाठ्यक्रमों के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करना तथा नियमों के तहत स्वीकार्यता के अनुसार टीए/ डीए मंजूर करना।	पूर्ण अधिकार
31.	टीए, चिकित्सा अन्य दावों के उद्देश्य से और इन दावों पर काउंटर-साइन करने सहित कार्य के लिए नियंत्रण अधिकारी के रूप में एक अधिकारी की घोषणा करना।	पूर्ण अधिकार
32.	पदों की समाप्ति	अपने अधिकारों के तहत सृजित पदों के संबंध में पूर्ण अधिकार।
33.	ग्रुप ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों के लिए नियुक्ति करना।	पूर्ण अधिकार

क्र. सं.	विषय	महानिदेशक (डीजी) के अधिकार
34.	परिवीक्षा पूर्णता / विस्तार और इस्तीफे।	पूर्ण अधिकार
35.	पदोन्नति	प्रासंगिक नियमों के अनुसार पूर्ण अधिकार
36.	सेवा की समाप्ति सहित अनुशासनात्मक अधिकार	उपनियमों के अनुसार
37.	छुट्टी स्वीकृति	पूर्ण अधिकार। (एक समय में 7 दिनों से अधिक ईएल या सीएल के लिए डीजी के संबंध में अध्यक्ष, सीसी।)
38.	अन्य संस्थानों में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति का अनुमोदन करना या अन्य संस्थानों द्वारा गठित समितियों के लिए कर्मचारियों के मनोनयन का अनुमोदन।	पूर्ण अधिकार
39.	सदस्यता के लिए व्यावसायिक निकायों का चयन, अधिकृत प्रवक्ताओं का नामांकन, पुस्तक प्रकाशन के लिए सदस्यों को अनुमति देना।	पूर्ण अधिकार
40.	विजिटिंग फैकल्टी, बाहरी विशेषज्ञों, परिषद, टीएसी सदस्यों आदि के लिए मानदेय की स्वीकृति।	पूर्ण अधिकार
41.	कार्यालय और आवासीय टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल फोन की सुविधा की स्वीकृति।	पूर्ण अधिकार
42.	किराए पर ली गई आवास सुविधा की स्वीकृति।	पूर्ण अधिकार
43.	कार्यालयीन उपकरण, फर्नीचर और जुड़नार, कूलर / एयर कंडीशनर, हीटर, वाहन, पीसी और इस तरह के अन्य मदों को किराए पर लेने या मरम्मती की स्वीकृति।	रु. 50 लाख तक पूर्ण अधिकार।
44.	मनोरंजन और आतिथ्य पर व्यय की स्वीकृति।	पूर्ण अधिकार
45.	कार्यालयों, गोदामों, अतिथिगृहों, आवासीय उद्देश्यों आदि के लिए किरायों का भुगतान।	पूर्ण अधिकार
46.	कार्यालयीन प्रयोजनों के लिए वाहन/ किराए पर लिए गए के लिए हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति।	पूर्ण अधिकार
47.	बैंक खातों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वालों की नियुक्ति का अधिकार।	गैर निधि आधारित सीमा (एलसी/बीजी) प्राप्त करने के लिए पूर्ण अधिकारों सहित पूर्ण अधिकार
48.	केंद्र के परिसर का रखरखाव।	रु. 50 लाख तक पूर्ण अधिकार।
49.	पेंट्री / कैंटीन / सुरक्षा सेवा / सफाई और परिवहन आदि के लिए सेवाओं को किराए पर लेने के लिए संविदाओं का निर्णय।	पूर्ण अधिकार

क्र. सं.	विषय	महानिदेशक (डीजी) के अधिकार
50.	प्रायोजित परियोजनाएं स्वीकार करना और देश के भीतर अनुदान, सदस्यता या अन्य वित्तीय अंशदान प्राप्त करना।	पूर्ण अधिकार
51.	अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालयीन यात्रा के लिए उस यात्रा के तरीके के लिए अधिकृत करना, जिसके लिए वे टी.ए. नियमों के अधीन पात्र नहीं हैं।	पूर्ण अधिकार
52.	भारत में अपने तथा सभी कर्मचारियों के लिए यात्रा, अग्रिम टीए/ डीए की मंजूरी।	पूर्ण अधिकार
53.	अग्रिम और एलटीसी, एचबीए, टीए / डीए, चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति।	पूर्ण अधिकार
54.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में सामान्य शर्तों में छूट देना।	पूर्ण अधिकार - (डीजी के संबंध में अध्यक्ष, सीसी को रिपोर्ट करके)
55.	लंबी अवधि के लिए किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान / अनुसूचित बैंकों, किसी अन्य सरकारी प्रतिभूतियों में संस्था की निधि का निवेश।	पूर्ण अधिकार
56.	कार्यशालाओं / प्रदर्शनियों / सम्मेलनों / सेमिनारों पर व्यय।	रु. 50 लाख तक पूर्ण अधिकार।
57.	स्वयं और संस्था के बीच होने वाले समझौते, अनुबंध, समझौता ज्ञापनों आदि को छोड़कर संस्था की ओर से बाकी समझौते, अनुबंध, समझौता ज्ञापनों आदि का निष्पादन	संस्था के संबंध में पूर्ण अधिकार।
58.	संस्था के प्रभावी संचालन के लिए आंतरिक / बाहरी सदस्यों को शामिल करके विभिन्न समितियों/ उपसमितियों को गठित करना।	पूर्ण अधिकार
59.	कार्यकारी निदेशकों सहित अधिकारियों के विदेशी दौरों की स्वीकृति।	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और वित्त मंत्रालय के निर्देशों अनुसार पूर्ण अधिकार।
60.	कार्यकारी निदेशकों के लिए अधिकारों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन।	स्वयं के अधिकारों के लिए सीमित पूर्ण अधिकार।
61.	केंद्र प्रमुखों व कुलसचिव, वरिष्ठ निदेशकों, निदेशक (वित्त), निदेशक-विधि एवं संविदा, निदेशक-एचआरडी को अधिकार प्रदान।	कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर महानिदेशक केंद्रों/ कार्पोरेट कार्यालय के कुशल संचालन के लिए कुछ अधिकारों को किसी अन्य को दे सकते हैं।

1. समय-समय पर जारी किए गए नियम व प्रक्रियाओं के अनुसार अधिकारों का प्रयोग होना है।

अनुलग्नक 'ग'

महानिदेशक द्वारा प्रत्यायोजित कार्यकारी निदेशकों के अधिकार

क्र. सं.	विषय	प्रत्यायोजित अधिकार
1.	इलेक्ट्रिकल फीटिंग/ संस्थापन आदि सहित सिविल कार्य की मरम्मत और रखरखाव	रु. 25 लाख तक पूर्ण अधिकार। तथा स्थानीय स्तर पर गठित एक स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों पर रु. 50 लाख तक।
2.	परिचालन व्यय / आकस्मिक व्यय / सांविधिक भुगतान जैसे कि बिजली, ईंधन, संचार, किराया, पानी, कर, मुद्रण, स्टेशनरी, पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ आदि, कर्मचारी कल्याण, हितकारी निधि, कर्मचारी मनोरंजन क्लब, स्वास्थ्य और खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, मनोरंजन और विशेष कार्यक्रम।	पूर्ण अधिकार
3.	प्रकाशन और विज्ञापन	रु. 25 लाख तक पूर्ण अधिकार। तथा स्थानीय स्तर पर गठित एक स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों पर रु. 50 लाख तक।
4.	प्रचारक प्रायोजन	एक वर्ष में रु. 5 लाख तक पूर्ण अधिकार।
5.	भवन निर्माण	रु. 25 लाख तक पूर्ण अधिकार। तथा स्थानीय स्तर पर गठित एक स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों पर रु. 50 लाख तक।
6.	भारतीय / विदेशी पूंजीगत उपकरण, सॉफ्टवेयर, उपकरण के निर्माण सहित कच्चे माल, घटक, उपभोज्य वस्तुएं/ अर्ध-उपभोज्य वस्तुएं जैसे तकनीकी भंडारों की खरीद।	रु. 25 लाख तक पूर्ण अधिकार। तथा स्थानीय स्तर पर गठित एक स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों पर रु. 50 लाख तक।
7.	संस्था की परियोजनाओं / स्व-सहायक गतिविधियों के लिए समेकित वेतन पर पद सृजित करने का अधिकार।	परियोजना की अवधि के लिए पूर्ण अधिकार पर तीन वर्षों से अधिक नहीं।

क्र. सं.	विषय	प्रत्यायोजित अधिकार
8.	अनुसंधान सहयोगी, विजिटिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, विजिटिंग प्रोग्रामर, प्रशिक्षु, तकनीकी सहयोगी, कंसल्टेंट्स / सलाहकार आदि जैसे अस्थायी अवधि के पदों को बनाने और समेकित पारिश्रमिक पर नियुक्तियां करने का अधिकार।	परियोजना की अवधि के लिए पूर्ण अधिकार लेकिन परियोजनाओं के लिए एक बार में तीन वर्षों से अधिक नहीं।
9.	प्रधान शीर्ष से बाहरी निधियों का पुनर्नियोजन अर्थात पूंजी से राजस्व आदि में।	विशिष्ट प्रावधान के 10% तक पूर्ण अधिकार सीमित हैं और महानिदेशक को बताना है।
10.	प्रत्येक श्रेणी अर्थात पूंजी, राजस्व आदि में निधियों का पुनर्नियोजन।	वेतन और ओवरहेड्स के लिए स्वयं सहायता गतिविधियों और जीआईए के बजट में समग्र स्थिति के भीतर 25% तक पूर्ण अधिकार और महानिदेशक को बताना है।
11.	कार्यालयीन उपकरण और फर्नीचर आदि सहित बेकार और अप्रचलित भंडार सामग्रियों का निपटान तथा उनके निपटान / निरस्तीकरण के तरीके का	ह्रासित मूल्य रु. 10 लाख से कम होने पर पूर्ण अधिकार।
12.	चोरी, धोखाधड़ी या व्यक्तियों की लापरवाही के कारण गैरवापसी हानि होने पर।	रु. 25,000/- तक ह्रासित मूल्य होने पर पूर्ण अधिकार।
13.	चोरी, धोखाधड़ी या व्यक्तियों की लापरवाही के कारण न होने वाली गैरवापसी हानि होने पर।	ह्रासित मूल्य रु. 2 लाख से अधिक न होने पर पूर्ण अधिकार।
14.	घाटा / हानि त्याग / प्रतिलाभ	ह्रासित मूल्य रु. 2 लाख से अधिक न होने पर पूर्ण अधिकार।
15.	भारत में पूर्णकालिक प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति करना।	अपने अधीनस्थों के लिए 30 दिनों तक के प्रशिक्षण अवधि के लिए पूर्ण अधिकार।
16.	नियुक्ति / पदोन्नति पर उच्च वेतन / अतिरिक्त वेतन वृद्धि मंजूरी	वहां के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण अधिकार जहां वह नियुक्ति प्राधिकारी है। समय-समय पर ऐसे मामलों की जानकारी महानिदेशक को दी जानी है।
17.	कार्यालय के लिए वाहन की खरीद।	महानिदेशक की स्वीकृति से रु. 25 लाख तक पूर्ण अधिकार।
18.	वाहन निपटान	ह्रासित मूल्य रु. 2 लाख तक पूर्ण अधिकार।
19.	कार्यकारी निदेशक के अधिकारों के तहत विशेष रूप से शामिल नहीं किए गए आवर्ती आकस्मिक खर्च।	रु. 1 लाख तक।
20.	नकद खरीद	रु. 10,000 तक नकद खरीद और रु. 10,000 से ऊपर और रु. 25,000 तक के लिए क्रय समिति के माध्यम से।

क्र. सं.	विषय	प्रत्यायोजित अधिकार
21.	भारत में अल्पकालिक और विशेष प्रशिक्षण / पाठ्यक्रम के लिए कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति और नियमों के तहत स्वीकार्य के रूप में टीए / डीए आदि की मंजूरी।	स्वयं को छोड़कर अधीनस्थों के लिए पूर्ण अधिकार।
22.	टीए, चिकित्सा, अन्य दावे के लिए तथा इन दावों के लिए प्रति हस्ताक्षर करने के लिए किसी अधिकारी को नियंत्रण अधिकारी घोषित करना।	पूर्ण अधिकार।
23.	पद समाप्ति	उनके अधिकारों के तहत सृजित पदों के संबंध में पूर्ण अधिकार।
24.	समूह ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों में नियुक्तियां करना।	पूर्ण अधिकार जहां वे नियुक्ति प्राधिकारी हैं। प्रवेश मानदंड, भर्ती और चयन के तरीके और नियुक्ति के आदेश रूपों, और ग्रेड रु.8000 / - और उससे अधिक के संदर्भ में, सभी सी-डैक केंद्रों में एक समान आधार पर, मेरिट पर सभी नियुक्तियाँ।
25.	परिवीक्षा पूर्णता / विस्तार और इस्तीफे।	पूर्ण अधिकार।
26.	पदोन्नति	उन सदस्यों के संबंध में पूर्ण अधिकार जिनके वे नियुक्ति प्राधिकारी हैं।
27.	सेवा की समाप्ति सहित अनुशासनात्मक अधिकार	उपनियमों के अनुसार।
28.	छुट्टी स्वीकृति	पूर्ण अधिकार। (एक बार में 7 दिन से अधिक के ईएल या सीएल के लिए कार्यकारी निदेशकों के संबंध में महानिदेशक)
29.	(a) अन्य संस्थानों के लिए कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति। (b) अन्य संस्थानों द्वारा गठित समितियों के लिए कर्मचारियों के मनोनयन की मंजूरी।	(a) अपने संस्थान में नियुक्ति प्राधिकारी होने पर अपने कर्मियों के संबंध में पूर्ण अधिकार। (b) अपने अधीनस्थ कर्मियों के संबंध में पूर्ण अधिकार।
30.	विजिटिंग प्राध्यापक, बाह्य विशेषज्ञों, परिषद, टीएसी सदस्यों आदि के लिए मानदेय अनुदान	पूर्ण अधिकार।
31.	कार्यालय, आवासीय दूरभाष, इंटरनेट और मोबाइल सुविधा की स्वीकृति।	पूर्ण अधिकार।
32.	किराए पर लिए गए आवास सुविधा की स्वीकृति।	पूर्ण अधिकार ।

33.	कार्यालय उपकरण, फर्नीचर और जुड़नार, कूलर / एयर-कंडीशनर, हीटर, कन्वेक्शन, पीसी और ऐसे अन्य सामानों को किराए पर लेने या मरम्मत कराने की मंजूरी।	प्रति वर्ष रु. 10 लाख तक पूर्ण अधिकार।
34.	मनोरंजन और आतिथ्य पर व्यय की स्वीकृति।	लागू नीतियों और दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ण अधिकार।
35.	कार्यालय, गोदामों, गेस्टहाउस, आवासीय उद्देश्यों आदि के लिए किराए का भुगतान	संबंधित केंद्रों / इकाइयों के संबंध में पूर्ण अधिकार।
36.	आधिकारिक उद्देश्यों के लिए लिए गए वाहनों / किराया शुल्क की प्रतिपूर्ति की मंजूरी।	पूर्ण अधिकार।
37.	बैंक खातों और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार।	पूर्ण अधिकार।
38.	पेंट्री / कैंटीन / सुरक्षा सेवाओं / सफाई सेवाओं / परिवहन आदि संबंधी सेवाओं को किराए पर लेने के लिए अनुबंध निर्णय।	पूर्ण अधिकार।
39.	प्रायोजित परियोजनाएँ स्वीकार करना तथा देश के भीतर से अनुदान, अंशदान या अन्य वित्तीय योगदान प्राप्त करना।	पूर्ण अधिकार पर महानिदेशक को रिपोर्ट करके।
40.	अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालयीन यात्रा के लिए उस यात्रा के तरीके के लिए अधिकृत करना, जिसके लिए वे टी.ए. नियमों के अधीन पात्र नहीं हैं।	पूर्ण अधिकार।
41.	भारत में अपने तथा सभी कर्मचारियों के लिए यात्रा, अग्रिम टीए/ डीए की मंजूरी।	पूर्ण अधिकार।
42.	अग्रिम और एलटीसी, एचबीए, टीए / डीए, चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति।	पूर्ण अधिकार।
43.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में सामान्य नियमों में छूट।	पूर्ण अधिकार - (कार्यकारी निदेशक के मामले में महानिदेशक की स्वीकृति)
44.	किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान / अनुसूचित बैंकों में, किसी अन्य सरकारी प्रतिभूतियों में दीर्घकालिक आधार पर संस्था की निधि का निवेश करना।	पूर्ण अधिकार - तिमाही आधार पर महानिदेशक को रिपोर्ट करना है।
45.	कार्यशालाओं / प्रदर्शनियों / सम्मेलनों / सेमिनारों आदि पर व्यय	रु. 15 लाख तक पूर्ण अधिकार

46.	संस्था की ओर से सभी समझौतों, अनुबंधों, समझौता ज्ञापनों आदि को निष्पादित करना, केवल अपने और संस्था के बीच के ऐसे कार्यों को छोड़कर।	उन वितीय अधिकारों तक पूर्ण अधिकार जो उनमें निहित है।
47.	केंद्र के अधिकारियों के अधिकारों का प्रत्यायोजन।	महानिदेशक की पूर्व स्वीकृति से कार्यकारी निदेशक अधिकारियों को अधिकार सौंप सकता है। हालाँकि अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की जिम्मेदारी कार्यकारी निदेशक की होगी।